रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 921] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2003/आश्विन 14, 1925

No. 921] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2003/ASVINA 14, 1925

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2003

का.आ. 1168(अ).—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुंबई स्थित उच्च न्यायालय में भारत का संघ अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग द्वारा अथवा उनके विरुद्ध दायर किए जाने वाले सभी दांडिक मामलों जिनमें सभी दांडिक रिट याचिकाएं, दांडिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, दांडिक निर्देश तथा दांडिक आवेदन शामिल हैं, का संचालन करने के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा श्री मंडर एम. गोस्वामी, अधिवक्ता को तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन तत्काल प्रभाव से अपर लोक अभियोजक नियुक्त करती है :—

(i) उपर्युक्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान श्री मंडर एम. गोस्वामी, मुंबई स्थित उच्च न्यायालय में भारत का संघ अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के विरुद्ध किसी दांडिक मामले में उपसंजात नहीं होंगे;

(ii) श्री मंडर एम. गोस्वामी, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 23(2)/2001-न्यायिक, दिनांक 14 मई, 2001 में दी गई शुल्क विवरणिका के अनुरूप शुल्क प्राप्त करने के पात्र होंगे।

[सं. एफ. 23 (2)/2003-स्था.]

डी. आर. मीना, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2003

S.O. 1168(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Mandar M. Goswami, Advocate as Additional Public Prosecutor for the purpose of conducting all criminal cases involving all criminal writ petitions, criminal appeals, criminal revisions, criminal reference and criminal appplications by or against the Union of India or any Central Government Office or any Department of the Central Government, in the High Court of Judicature at Mumbai for a period of three years or until further orders whichever is earlier with immediate effect subject to the following conditions :—

(i) Shri Mandar M. Goswami shall not appear against the Union of India or any Central Government Office or any Department of the Central Government in any criminal cases in the High Court of Judicature at Mumbai during the said period of three years.

(ii) Shri Mandar M. Goswami shall be entitled to the fee as per the statement of fees contained in the Office Memorandum No. F. 23(2)/2001-Judl., dated 14th May,. 2001 issued by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs, New Delhi.

[No. F. 23(2)/2003-Judl.]

D. R. MEENA, Jt. Secy. and Legal Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.